लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462021

दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651 ई–मेल cpibhop@nic.in

क्रमांक / शि.क. / संवि. /27/63/2011/648 भोपाल, दिनांक 12/8/11

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला................................, मध्यप्रदेश ।

2/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत ...., मध्यप्रदेश ।

विषयः–संविलियन हेतु अनापत्ति जारी करने के संबंध में ।

–///–

विषयोक्त संबंध में लेख है कि संविदा शाला शिक्षको के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु जिले स्तर पर रिक्त पदो की गणना का कार्य प्रचलन में है, जिसके आधार पर शीघ्र ही निकट भविष्य में संविदा शाला शिक्षको की पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है । पात्रता परीक्षा आयोजन के पश्चात संविदा शाला शिक्षको के नियोजन की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी ।

उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय होगा कि संचालनालय स्तर पर संविलयन हेतु अभी भी अनापत्ति प्राप्त हो रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि संविलयन हेतु अभी भी अनापत्ति जारी की जा रही है । अनापत्ति जारी होते रहने से जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना संबंधी कार्य आवश्यक रूप से प्रभावित होगा एवं वास्तविक रिक्तियों की संख्या में काफी विसंगति आ सकती है । ऐसी स्थिति में विसंगति के कारण संविदा शाला शिक्षको के नियोजन की कार्यवाही में स्वाभाविक रूप से विलंब होगा ।

अतः संविदा शाला शिक्षको के रिक्त पदो की गणना सही हो तथा नियोजन की कार्यवाही समुचित ढंग से पूर्ण की जा सके, इस हेतु एतद्द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि 10 अगस्त 2011 के पश्चात संविलयन बावत् किसी भी स्तर से कोई अनापत्ति जारी नहीं किया जावे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त तिथि के पश्चात जारी अनापत्ति पर कोई कार्यवाही न की जावे । ताकि संविदा शाला शिक्षको के नियोजन के कार्यवाही में कोई व्यावहारिक कठिनाई उपस्थित न हो ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0क्रमांक / शि.क. / संवि. /27/63/2011/649 भोपाल, दिनांक 12/8/11

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला ....म0प्र0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निर्देशो का पालन सुनिश्चित करें एवं सक्षम अधिकारियों को इस बावत् अवगत करावें ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

F:\NEWARE_SK\DO.doc